



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-49/2024-1949/

**बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग**

**निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01**



बिहार सरकार

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22/07/2025

विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹17,92,406 /-(रुपये सत्रह लाख बानवे हजार चार सौ छः) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹17,92,406 /-(रुपये सत्रह लाख बानवे हजार चार सौ छः) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0001- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद् विपत्र कोड- 26-2230031010001 के विषय शीर्ष-0001-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, मुंगेर से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-49/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वाशभाजन

(Signature)
22.7.25

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-49/2024-1949

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(Signature)
22.7.25

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग

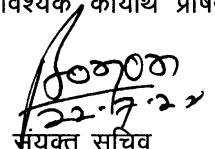
बिहार, पटना।

NK 6

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-49/2024.....1949

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर / विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर / प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-28/2024.....1950...../

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

विषय:- महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹ 14,52,750/- (चौदह लाख बावन हजार सात सौ पचास) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गया (शहरी), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹ 14,52,750/- (चौदह लाख बावन हजार सात सौ पचास) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0001- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद् विपत्र कोड- 26-2230031010001 के विषय शीर्ष-0001-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-28/2024-08/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वरामभाजन

22-7-25

संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-28/2024.....1950.....

पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22-7-25

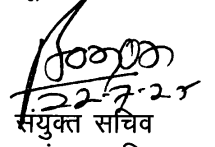
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

MA

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-28/2024...../950.....

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, गया/जिला पदाधिकारी, गया/जिला कोषागार पदाधिकारी, गया/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गया (शहरी)/प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया /मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


12-7-25
संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-83/2024-1951/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-22/07/2025

विषय:- महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिवान के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹ 15,22,690 /- (पन्द्रह लाख बाईस हजार छः सौ नब्बे) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिवान के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, महाराजगंज, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹ 15,22,690 /- (पन्द्रह लाख बाईस हजार छः सौ नब्बे) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0001- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद् विपत्र कोड- 26-2230031010001 के विषय शीर्ष-0001-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

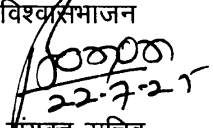
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिवान होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, सिवान से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-83/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसभाजन

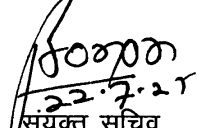

22-7-25

संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-83/2024-1951/

पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

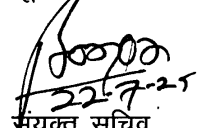

22-7-25
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

NK &

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-83/2024.....1951.....

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, छपरा/जिला पदाधिकारी, छपरा/जिला कोषागार पदाधिकारी, छपरा/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, महाराजगंज/प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिवान /मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-52/2024-1952/

**बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग**

**निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01**



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22/07/2025

विषय:- महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹19,50,982/- (रुपये उन्नीस लाख पचास हजार नौ सौ बयासी) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (शहरी-1), नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹19,50,982/- (रुपये उन्नीस लाख पचास हजार नौ सौ बयासी) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0001- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद् विपत्र कोड- 26-2230031010001 के विषय शीर्ष-0001-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-52/2024-09/टि0 पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वप्रभाजन

[Signature]
22-7-25

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-52/2024-1952

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Signature]
22-7-25

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग

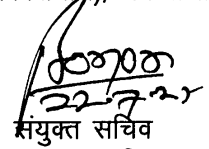
बिहार, पटना।

NA

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-52/2024.....1952

पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, मुजफ्फरपुर / जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/ जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (शहरी-1)/ प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/ मासिक व्यय विवरणी शाखा/ बजट शाखा/ योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-84/2024-1953/

**बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग**

**निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01**



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22/07/2025

विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वीरपुर (सुपौल) के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹19,48,705/-(रुपये उन्नीस लाख अरतालीस हजार सात सौ पाँच) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वीरपुर (सुपौल) के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, राघोपुर, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹19,48,705/-(रुपये उन्नीस लाख अरतालीस हजार सात सौ पाँच) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0001- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद् विपत्र कोड- 26-2230031010001 के विषय शीर्ष-0001-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वीरपुर (सुपौल) होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, सुपौल से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-84/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसभाजन

(Signature)
22.7.25
संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-84/2024-1953

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

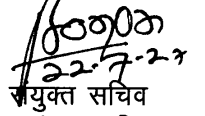
(Signature)
22.7.25
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार पटना।

N/A

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-84/2024...../553.....

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, कोसी/जिला पदाधिकारी, सुपौल/जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, राघोपुर/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वीरपुर (सुपौल)/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22-7-25

आयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-25/2024.....1954/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22/07/2025

विषय:- महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹15,24,147/- (पन्द्रह लाख चौबीस हजार एक सौ सैंतालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मोतिहारी, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹15,24,147/- (पन्द्रह लाख चौबीस हजार एक सौ सैंतालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0001- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद् विपत्र कोड- 26-2230031010001 के विषय शीर्ष-0001-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, मोतिहारी से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-25/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसभाजन

(Signature)
22-7-25

संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-25/2024.....1954/

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(Signature)
22-7-25

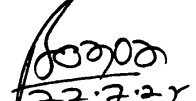
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

NK 8

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-25/2024...../१५५.....

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मोतिहारी/जिला कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मोतिहारी/प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22.7.25

संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो०)/भवन-55/2024-1955/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22/07/2025

विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नवादा के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹ 14,81,954/- (रुपये चौदह लाख इक्यासी हजार नौ सौ चौवन) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नवादा के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, नवादा, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹ 14,81,954/- (रुपये चौदह लाख इक्यासी हजार नौ सौ चौवन) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0001- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद् विपत्र कोड- 26-2230031010001 के विषय शीर्ष-0001-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

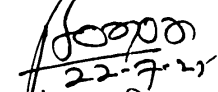
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नवादा होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, नवादा से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो०)/भवन-55/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वरामभाजन

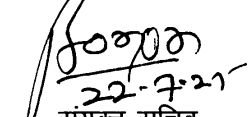


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो०)/भवन-55/2024-1955

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



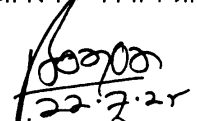
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

M 0

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-55/2024.....1955.....

पटना, दिनांक-.....22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, गया/जिला पदाधिकारी, नवादा/जिला कोषागार पदाधिकारी, नवादा/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, नवादा/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नवादा /मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


122.7.25

संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-30/2024...../956/

**बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग**

**निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01**



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-22/07/2025

विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हथुआ गोपालगंज के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹8,87,743/- (रूपये आठ लाख सतासी हजार सात सौ तैतालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हथुआ गोपालगंज के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मीरगंज (गोपालगंज), नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹8,87,743/- (रूपये आठ लाख सतासी हजार सात सौ तैतालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0001- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद् विपत्र कोड- 26-2230031010001 के विषय शीर्ष-0001-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

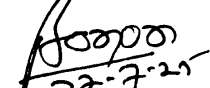
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हथुआ गोपालगंज होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, गोपालगंज से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-30/2024-08/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वामाजान


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-30/2024...../956/

पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

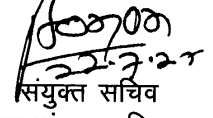

संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

NK 8

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-30/2024...../956.....

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, छपरा /जिला पदाधिकारी, गोपालगंज /जिला कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज / विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मीरगंज (गोपालगंज)/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हथुआ गोपालगंज /मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-10/2024-1957/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22/07/2025

विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेगूसराय के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹20,53,478/-(रुपये बीस लाख तिरपन हजार चार सौ अठहत्तर) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेगूसराय के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बेगूसराय, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹20,53,478/-(रुपये बीस लाख तिरपन हजार चार सौ अठहत्तर) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0001- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद् विपत्र कोड- 26-2230031010001 के विषय शीर्ष-0001-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेगूसराय होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, बेगूसराय से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-10/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(Signature)
22.7.25

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-10/2024-1957

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(Signature)
22.7.25

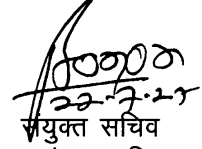
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार पटना।

NO

ज्ञापक- टी-5(यो0)/भवन-10/2024...../957

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/जिला कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बेगूसराय/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेगूसराय/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22-7-25
आयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-81/2024-1958/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-22/07/2025

विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीतामढ़ी के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹38,61,042/-(रुपये अड़तीस लाख इकसठ हजार बयालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीतामढ़ी के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सीतामढ़ी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹38,61,042/-(रुपये अड़तीस लाख इकसठ हजार बयालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0001- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद् विपत्र कोड- 26-2230031010001 के विषय शीर्ष-0001-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

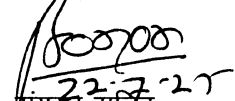
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीतामढ़ी होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, सीतामढ़ी से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-81/2024-08/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

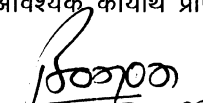
विश्वामाजान


22-7-25
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-81/2024-1958

पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22-7-25
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

M

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-81/2024...../१५८.....

पटना, दिनांक-.....२२/०७/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/जिला कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सीतामढ़ी/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीतामढ़ी /मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।